न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०

पीठासीन अधिकारी

काना राम मीणा,

(RJS)

निर्णय दिनांक :– 18.03.2026

आपराधिक प्रकरण सं. 142/2026

सीआईएस नं. 1037/2016

CNR No. RJBR020011092016

एफआईआर सं. 801/2010 पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा0दं0सं0

PART– I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. शाकीर हुसैन पुत्र अहम्मद हुसैन निवासी नयापुरा बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज जैन

B

अपराध की दिनांक		14.12.2010
एफआईआर की दिनांक		14.12.2010
आरोप पत्र की दिनांक		11.08.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		09.01.2017
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		02.03.2024
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		18.03.2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		18.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त / अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त / अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	शाकिर हुसैन	–	–	279, 304ए भा0दं0सं0	दोषमुक्त	–	–

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी / बचाव साक्षी / न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	सुरेश	ताईद बयान 161 सीआरपीसी
PW2	नन्दकिशोर	परिवादी
PW3	हेमराज	ताईद नक्शा मौका
PW4	लोकेश	ताईद नक्शा मौका
PW5	नंदकिशोर	ताईद बयान 161 सीआरपीसी
PW6	विष्णु प्रसाद	ताईद बयान 161 सीआरपीसी
PW7	मुकेश कुमार	ताईद बयान 161 सीआरपीसी
PW8	ब्रजराज सिंह	ताईद मैकेनिकल मुआयना

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 02.03.24 PW1	पुलिस बयान सुरेश
2	Ex P2 02.03.24 PW2	लिखित रिपोर्ट
3	Ex P3 02.03.24 PW2, PW5	फर्द पंचनामा मृतक कांतिबाई
4	Ex P4 02.03.24 PW2, PW5	फर्द सुपुर्दगी लाश
5	Ex P5 02.03.24 PW2, PW3, PW4	नक्शा मौका
6	Ex P6 02.03.24 PW2	पुलिस बयान नन्दकिशोर
7	Ex P7 09.03.26 PW8	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 304ए भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.12.2010 को नन्दकिशोर ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 इस आशय की पेश की कि दिनांक 14.12.2010 को शाम को 8 बजे करीब की बात है वह घर पर ही था उसकी पत्नि शान्ती

बाई घर से चाय पीने के लिये जोनल हॉस्पिटल के सामने दुकान पर गई जब उसकी पत्नि हॉस्पिटल के सामने पहुंची तो कोटा की तरफ से एक जीप कमान्डर जेसी जिसके नम्बर पता नहीं है आई जिसके ड्राईवर ने जीप को लापरवाही से तेज गति से चला कर उसकी पत्नि के टक्कर मार दी टक्कर लगने से उसकी पत्नि वही गिर पडी जिसकी टक्कर लगते ही मौके पर ही मृत्यू हो गई। चिल्लाने की आवाज सुनकर भागकर में मौके पर पहुँचा तो रोड पर उसकी पत्नि कि लाश पडी हुई थी। उस समय वहाँ पर विष्णू, सुरेश, नन्दकिशोर आदि मौजूद थे। जिन्होंने उक्त सारी बात उसे बताई उसके बाद वह अपनी पत्नि की लाश को अस्पताल लाया.....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां पर मुकदमा नं0 801/2010 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304ए भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त को जुर्म धारा 279, 304ए भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुलजिम को उक्त प्रकरण में झूठा व रंजिशवश फंसाया गया है। घटना स्थल का नक्शा मोका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.12.2010 को समय लगभग 08.00 पीएम पर बमुकाम जोनल हॉस्पिटल के सामने, बारां में लोकमार्ग पर अपने वाहन जीप कमान्डर को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर

फरियादी नन्दकिशोर की पत्नी श्रीमति कांति बाई के टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न कर उसकी मृत्यु कारित की। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 सुरेश, पी.डब्ल्यू–02 नन्दकिशोर द्वारा अपने–अपने बयानो में घटना की ताईद नही करते हुये उक्त गवाहान प्रकरण में पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित हुए है।

10. गवाह पी0डब्ल्यू–03 हेमराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से 10–12 साल पहले पुलिस आई और मौका–मुआयना देखा हो तो उसे याद नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–04 लोकेश ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से 10–12 साल पहले उसके सामने पुलिस आई थी। पुलिस ने नक्शा मौका देखा और बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि नक्शा मौका उसने पढकर नहीं देखा ना ही पुलिस ने उसे पढकर सुनाया।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–05 नंदकिशोर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना सन् 2010 की है। वह मकान पर ही था। नंदकिशोर मीणा की पत्नि का एक्सीडेंट हुआ था तो वे रोड़ बालाजी मिल्स के सामने पहुंचे थे। उन्होंने जाकर देखा तो उसकी पत्नि रोड़ पर पड़ी थी। वे पहुंचे थे उस समय वहां पर कोई गाड़ी नहीं थी। एक्सीडेंट किससे हुआ यह उसे मालूम नहीं है। वे उसकी पत्नि को लेकर अस्पताल चले गये थे। तब डॉक्टर ने उसकी पत्नि कांतिबाई को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने उसके सामने पंचनामा बनाया था व लाश सुपुर्दगी में संभलायी थी। फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 3, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 4 है जिन पर सी से डी उसके हस्ता० है।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस ने उससे घटना कारित करने वाली गाडी के नंबर नहीं पूछे। उसने दुर्घटना होते हुए देखी थी। उसने टक्कर मारते हुए किसी वाहन को नहीं देखा।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–06 विष्णु प्रसाद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 14–15 साल पहले की बात है। उसकी मामीजी कांतिबाई का एक्सीडेंट हुआ था,

जो करीब रात्रि को 7–8 बजे हुआ था। घटना बालाजी राइस मिल के आस पास हुई थी, जो जीप वाले ने टक्कर मारी थी, कोटा की तरफ से आ रहा था। जीप चालक टक्कर मारकर वहां से भग गया था। फिर कांतिबाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उस समय वहां और लोग भी इकट्ठे हो गये थे। वहां से वह और नंदकिशोर अस्पताल लेकर गये थे, जहां पर डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया था। गाडी वाला गाडी को भगाकर लेकर गया था, इसलिए वह गाडी के नंबर नहीं देख पाया। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई।

16. गवाह पी0डब्ल्यू–07 मुकेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 2010 की बात है। उसका बच्चा राधाकिशन अस्पताल में भर्ती था। वह रात के करीब 7–8 बजे के आसपास मोटरसाइकिल से भवानीशंकर के साथ में जा रहा था। तभी नाले के पास में कोटा की तरफ से एक महिंद्रा जीप नंबर आर जे 28 टी ए 0265 का चालक ने पैदल चलती महिला के साइड में टक्कर मार दी। जीप चालक अपनी जीप को तेज गति व लापरवाही से चलाकर महिला के टक्कर मार दी जिससे बाद में महिला घायल हो गई थी। बाद में मालूम पडा कि उसकी मृत्यु हो गई है। जीप चालक जीप को लेकर भाग गया था। बाद में उसने यह बात पुलिस को बता दी थी।

17. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि उसने गाडी के नंबर आरजे 28 टीए 0265 नहीं देखे थे, उसे तो पुलिस वालों ने बताए थे। उसने उक्त गाडी को टक्कर मारते हुए भी नहीं देखा। गाडी का ड्राईवर कौन था, उसे भी नहीं देखा। उसने पुलिस वालों को टक्कर मारने वाली जीप के नंबर नहीं बताए थे।

18. गवाह पी0डब्ल्यू–08 ब्रजराज सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 12.12.2014 को पुलिस लाईन बारां में एमटीओ के पद पर तैनात था। उस दिन जरिये वायरलेस सूचना मिली कि मुकदमा नं 801/2010 अंतर्गत धारा 279, 304ए आईपीसी में जब्तशुदा वाहन जीप नम्बर आरजे 28 पीए 0265 का मैकेनिकल मुआयना करना है जो कि थाना कोतवाली परिसर बारां में खडी हुई है। उक्त सूचना पर वह थाना कोतवाली बारां पहुंचा। जहां पर उक्त जब्तशुदा जीप का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की थी। जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श–पी 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसकी रिपोर्ट अंकित है।

19. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने जब वाहन का मुआयना किया था उस समय वाहन पर

कोई रगड के निशान व डैमेज मौजूद नहीं था। यह कहना सही है कि वाहन पर ताजा रिपेयर करवाई हेा ऐसा निशान भी मौजूद नहीं था।

20. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में घटना के बाबत् एक रिपोर्ट प्रदर्श–पी 02 परिवादी नंदकिशोर के द्वारा इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि दिनांक 14.12.2010 को शाम के 08.00 बजे करीब उसकी पत्नी कांतिबाई घर से चाय पीने के लिए जोनल हॉस्पिटल के सामने दुकान पर गई, हॉस्पिटल के सामने पहुंची तो कोटा की तरफ से एक जीप कमान्डर जिसके नंबर पता नहीं, जीप को लापरवाही व तेज गति से चलाकर पत्नी के टक्कर मार दी जिससे पत्नी की मृत्यु हो गई एवं घटना स्थल पर विष्णु, सुरेश व नन्दकिशोर मौजूद होने के बाबत् दर्ज करवाई गई है जिस संबंध में परिवादी नन्दकिशोर पी.डब्ल्यू–02 के रूप में परीक्षित होते हुए एक्सीडेंट किस गाडी से हुआ, क्या नंबर थे पता नहीं होने व नक्शा मौका उसके समाने बनाया हो तो याद नहीं होने एवं कांतिबाई को अस्पताल कौन लेकर गया मालूम नहीं होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह प्रकरण में पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उक्त गवाह के द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 उसके द्वारा नहीं लिखने के तथ्य को साक्ष्य में अभियोजन की ओर से की गई जिरह में स्वीकार किया जाना प्रकट होता है तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में सुरेश पी.डब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित होते हुए घटना की ताईद नहीं करते हुए पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 का गवाह हेमराज पी.डब्ल्यू–03 के रूप में परीक्षित होते हुए मौका मुआयना उसके सामने देखा तो याद नहीं होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 की ताईद अपने बयानों में नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–04 लोकेश के द्वारा भी नक्शा मौका पढकर नहीं देखने व ना ही पुलिस ने पढकर सुनाने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार गवाह लोकेश व हेमराज के बयानों से नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 की ताईद नहीं होना प्रकट होती है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–05 नंदकिशोर के द्वारा एक्सीडेंट किससे हुआ मालूम नहीं होने, उसने टक्कर मारते हुए किसी को नहीं देखने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–06 विष्णु प्रसाद के द्वारा गाडी के नंबर नहीं देखने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–07 मुकेश कुमार के द्वारा उसे गाडी के नंबर पुलिस वालों के द्वारा बताने, गाडी को टक्कर मारते हुए नहीं देखने, गाडी का ड्राईवर कौन था पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी. डब्ल्यू–08 ब्रजराज सिंह जो कि मैकेनिकल मुआयना का गवाह है उक्त गवाह के द्वारा

वाहन पर कोई रगड व डैमेज के निशान नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा अन्य गवाहान के बयान पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं होना प्रकट होते हैं। इस प्रकार उक्त प्रकरण में स्वयं परिवादी व अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहान के द्वारा घटना की ताईद किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 की ताईद गवाहान के बयानों से नहीं होना प्रकट होती है तथा परिवादी व प्रत्यक्षदर्शी गवाह सुरेश प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित होना प्रकट होते है जिससे रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 की ताईद नहीं होना प्रकट होती है तथा मुल्जिम ने घटना कारित की हो इस बाबत् कोई भी साक्ष्य किसी भी गवाहान के द्वारा अपने–अपने बयानों में नहीं दिया जाना प्रकट होता है तथा मुल्जिम की पहचान किसी भी गवाहान के द्वारा नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 में टक्कर मारने वाली गाडी के नंबर व मुल्जिम के नाम का अंकन नहीं होना परिवादी व अन्य गवाहान की साक्ष्य व रिपोर्ट से प्रकट होता है। इस प्रकार जो साक्ष्य पत्रावली पर पेश हुई है उसमें विरोधाभास होना प्रकट होता है। इसलिए अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा0दं0सं0 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

21. अतः अभियुक्त **शाकीर हुसैन** पुत्र अहम्मद हुसैन निवासी नयापुरा बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। मुलजिम के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है तथा मुलजिम द्वारा धारा 437ए सीआरपीसी के तहत जमानत मुचलके प्रस्तुत किए जावे एवं प्रकरण में प्रस्तुत जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझा जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बारां (राज0)

22. निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY
Date: 2026.03.18 16:23:14 +0530